छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकरनगर, रायपुर

अपील क्रमांक 42/2006

श्री दीपक कुमार . . . . . अपीलार्थी
बुद्धदेव,
संपादक,
दैनिक दावा,
गांधी चौक,
राजनांदगांव

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी . . . . . प्रतिअपीलार्थी
एवं
अनुज्ञापन अधिकारी,
खाद्य एवं औषधि
प्रशासन,
राजनांदगांव
(छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(09 मई 2006)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा प्रतिअपीलार्थी से दिनांक 10–11–2005 के आवेदन से कुछ जानकारी चाही गई थी, उसके लिए निर्धारित शुल्क जमा किया था और रुपए 820/– का चालान भी जमा किया था। किन्तु आवेदक ने अपील की है कि उन्हें इसके एवज़ में केवल 205 पृष्ठों की अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई। इसके बाद आवेदक ने नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, रायपुर के कार्यालय में 03–01–2006 को उपस्थित होकर अनुरोध किया और उनके निर्देशों के अनुसार जन सूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा

एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजनांदगांव को दिनांक 10–01–2006 को जानकारी के लिए आवेदन किया।

अपीलार्थी तथा प्रतिअपीलार्थी दोनों की समक्ष में सुनवाई की गई तथा सुनवाई के समय यह स्पष्ट हुआ था कि रजिस्टर के 02 पेज की जानकारी 01 पेज में फोटोकापी करके दी गई थी एवं उसे 02 पेज मानकर गणना के भ्रम के कारण अधिक राशि वसूल हुई है और प्रतिअपीलार्थी इस संबंध में सहमत हुये कि उसे 01 पेज मानकर समायोजन किया जायेगा और शेष बची जानकारी आवेदक को निरीक्षण कराकर ही उन्हें उपलब्ध कराई जावेगी। चूंकि दोनों पक्षों की इसमें सहमति थी।

उक्त अपील का निराकरण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अधिक जमा राशि का समायोजन किया जाये और निरीक्षण कराकर आवश्यक जानकारी अधिक जमा राशि के पेटे उन्हें प्रदान कर दी जावे और जो भी जानकारी शेष बची हो वह आदेश के आगामी 15 दिनों के अंदर अपीलार्थी को प्रदान कर दी जावे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त